श्री आदित्य विक्रम बिड़ला मेमोरियल व्यापार सहयोग केन्द्र

माहेश्वरी समाज-

माहेश्वरी समाज की गणना एक सजग, चिन्तनशील एवं प्रबुद्ध समाज में की जाती है । जीवन के सभी क्षेत्रों में समाज बन्धुओं ने बड़ी प्रगति की है । उद्योग, शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में समाज बन्धु अग्रण्य हैं। आज माहेश्वरी समाज के अनेक बन्धु डाक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, कानूनी सलाहकार, न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, आई.ए.एस., आई.पी.एस. जैसे उच्च पदों पर आसीन हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है ।

समाज के लिए अत्यंत ही गौरव की बात है कि देश के सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश हमारे ही समाज के श्री रमेशचन्द्र जी लाहोटी पदासीन थे। देश के अनेक उच्च न्यायालयों में भी समाज के अनेक व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में आसीन हैं।

प्रबन्धकीय क्षेत्र में भी समाज के अनेक बन्धु जुड़े हुए है। शिक्षा के क्षेत्र में समाज बन्धुओं का बहुत बड़ा योगदान है। समाज बन्धुओं द्वारा देश में स्कूल, कॉलेज, छात्रावास आदि अनेक संस्थाओं का संचालन हो रहा है। समाज के कुछ व्यक्तियों ने विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में समाज का गौरव बढ़ाया है । राजनीति के क्षेत्र में भी समाज बन्धुओं का अच्छा वर्चस्व है। पार्लियामेन्ट में आज समाज के अनेक सांसद है और विभिन्न प्रदेशों में अनेक बन्धु विधायक एवं मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद, पंचायत आदि में समाज के अनेक बन्धु प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जल सेना, थल सेना, वायु सेना एवं अन्य सेना सुरक्षा क्षेत्र से भी समाज के अनेक बन्धु जुड़े हुए हैं।

उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में समाज बन्धुओं ने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी एक विशेष पहचान बनायी है। बिड़ला, बांगड़, धूत, मोहता, मुंधड़ा, झंवर, सोमाणी आदि उद्योग समूह के अलावा अनेक माहेश्वरी परिवार भी उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं।

संवेदनशील समाज-

माहेश्वरी समाज एक संवेदनशील समाज है। समाज ने सेवा, त्याग एवं सदाचार को जीवन में सर्वोपरि माना है। समाज की सदैव मान्यता रही है कि, हमें जो सम्पत्ति प्राप्त हुई है, उसमें प्रभु की कशपा का अंश है, परिवार, समाज और देश का भी हिस्सा है।

प्रबुद्ध समाज का एक कमजोर वर्ग-

प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध माहेश्वरी समाज में आज एक वर्ग ऐसा भी है जो आर्थिक दशष्टि से कमजोर है। जीवन यापन, चिकित्सा, बच्चों की उच्च शिक्षा आदि का खर्च भी यह वर्ग वहन करने में असमर्थ है और वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में संकोच करते हैं। छोटे गाँव एवं देहातों में यह स्थिति अधिक गंभीर है।

समाज में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो व्यवसाय की क्षमता रखते हैं लेकिन अर्थाभाव के कारण वे अपना व्यवसाय स्थापित/विकसित करने में असमर्थ हैं। इन बन्धुओं को समाज द्वारा सम्बल देकर उनका व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग किया जाये तो निश्चित ही वे आत्म-निर्भर हो सकते हैं।

मनीषियों की दूरदर्शिता-

समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं समस्याओं का निवारण कर समाज का सर्वांगीण विकास हो इस भावना से हमारे दूरदर्शी मनीषियों ने आज से १०० से अधिक वर्ष पूर्व, राष्ट्रीय स्तर पर समाज संगठन की स्थापना की जो आज अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के रूप में कार्यरत है। हमारा यह संगठन देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले माहेश्वरी समाज से जुड़ा हुआ है। समाज का हर व्यक्ति अपने आप को माहेश्वरी कहने में गौरान्वित समझे यह हमारे इस संगठन की भावना है।

सामाजिक समस्याएँ-

समय के साथ-साथ समाज की समस्यायों में अनेक बदलाव आये। समाज में पहले कुछ कुरीतियाँ थीं-संगठन के माध्यम से इन कुरीतियों के निराकरण हेतु समय-समय पर चिन्तप हुआ। पूर्व में बाल-विवाह, कन्या के बदले धन लेना, दहेज आदि कुरीतियाँ समाज की बड़ी समस्यायें थी। सामाजिक जागशति के साथ कुछ समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन कुछ नई समस्याओं ने भी जन्म लिया।

पाश्चात्य संस्कशति का गलत प्रभाव,परिवारों में विघटन, संस्कारों का पतन, अर्न्तजातीय विवाह, मदिरापान, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा एवं चिकित्सा आदि समस्या समाज के लिए आज एक चुनौती बन गयी है। इन समस्याओं के निराकरण हेतु संगठन के माध्यम से समय-समय पर चिन्तन हुआ है और इस हेतु कुछ योजनायें भी बनी हैं

जैसे-श्रीकश्ष्णदास जाजू स्मारक ट्रस्ट, श्री रामगोपाल माहेश्वरी स्मशति शिक्षा केन्द्र, प्रादेशिक ट्रस्ट, बाल संस्कार शिविर, सामूहिक-विवाह, परिचय सम्मेलन आदि।

उद्योग एवं व्यवसाय के नये-नये अवसरों का लाभ लेकर समाज का एक वर्ग निश्चित ही सम्पन्न हुआ है और दूसरी ओर आर्थिक विषमता की वजह से आर्थिक दश्ष्टि से कमजोर वर्ग कुंठित हो रहा है। समाज के यह बन्धु आत्म-निर्भर बनें, अपना जीवन यापन, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आदि का भार सुगमता से वहन कर सके और यह वर्ग समाज की मुख्य धारा से जुड़े, इस हेतु समाज में समय-समय पर अनेक बार चिन्तन हुआ है।

समाजहित में एक अनूठी योजना-

समाज बन्धुओं को अपना निजी व्यवयाय शुरु/विकसित करने हेतु प्रारंभिक पूँजी के रूप में ऋण सहयोग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महासभा में अनेक बैठकों में चिन्तन हुआ और **'बहुजन हिताय:, बहुजन सुखाय:'** की भावना से प्रेरित, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के २३वें सत्र में जनवरी १९९९ में पुष्कर में आयोजित कार्यकारी मंडल की बैठक में एक योजना बनायी गयी।

योजना की सार्थकता एवं उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए इस बैठक में उपस्थित अनेक समाज बन्धओं ने स्वेच्छा से आगे आकर १ घंटे की ही अल्पावधि में रू. ७५ लाख की राशि के सहयोग की घोषणा की। यह समाज के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और समाज के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि।

राष्ट्रीय समृद्धि के सफल एवं युवाओं के प्रेरणा स्त्रोत श्री आदित्य विक्रम बिड़ला-

भारतवर्ष की समश्द्धि में नेत्र दीपक अभ्युन्नति करके भव्य एवं आकर्षक देव-मंदिरों के निर्माण से धर्म-संवर्धन तथा सांस्कश्तिक, सामाजिक एवं विविध संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्र सेवा में बिड़ला परिवार ने, अपने योगदान द्वारा आधुनिक भारतीय समाज पर गहरी छाप स्थापित की है।

इस गौरवशाली परिवार के एक तेजस्वी नक्षत्र स्व. श्री आदित्य विक्रम बिड़ला थे। उन्होंने अल्पायु में ही दूरदर्शिता एवं कुशल नेतश्त्व का परिचय देते हुए औद्योगिक क्षेत्र के शिखर को छू लिया था। उन्होंने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक दूरदर्शी उद्योगपति के रूप में अपनी पहचान बनायी। स्व. श्री आदित्य बाबू बिड़ला उद्योग क्षेत्र में युवा वर्ग के दीप स्तम्भ थे। इन अनोखी उपलब्धि से हमारा समाज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में गौरान्वित हुआ है।

समाज की ऐसी महान विभूति की स्मश्ति सदैव कायम रहे, समाज के लिए प्रेरणास्त्रोत बनें, इस बात का ध्यान में रखते हुये इस योजना का **श्री आदित्य विक्रम बिड़ला मेमोरियल व्यापार सहयोग केन्द्र** रखा गया।

उद्देश्य

समाज के आर्थिक दश्ष्टि से कमजोर जरूरतमंद, उद्यमशील बन्धुओं को अपना निजी उद्योग एवं व्यवसाय शुरू/विकसित करने हेतु, न्यूनतम सेवा शुल्क सेवा प्रारंभिक पूंजी के रूप में ऋण सहयोग देकर आत्म-निर्भर बनाने के मुख्य उद्देश्य से श्री आदित्य विक्रम बिड़ला मेमोरियल व्यापार सहयोग केन्द्र की स्थापना की गई।

शुभारम्भ

श्री आदित्य विक्रम बिड़ला मेमोरियल व्यापार सहयोग केन्द्र का शुभारम्भ १५ अगस्त १९९९ को **श्रीमती राजश्रीजी बिड़ला** की अध्यक्षता में, सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश **श्री आर.सी.लाहोटी.** एवं महाराष्ट्र सरकार के पूर्व राज्यपाल व पूर्व केन्द्रीय मंत्री **श्री सी.सुब्रामणियमजी** के कर कमलों द्वारा चेन्नई में किय गया।

योजना-

केन्द्र योजना के अन्तर्गत योजना के प्रारम्भ में समाज के आर्थिक दश्ष्टि से कमजोर लेकिन उद्यमशील बन्धुओं को व्यवसाय शुरू/विकसित करने हेतु प्रारंभिक पूंजी के रूप में रू. ५० हजार तक की सहायता दी जाती थी। लेकिन योजना को सफलता एवं व्यवसाय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष २००३ में ऋण सहायता की अधिकतम सीमा रू. ५०००० से बढ़ाकर १ लाख की दी गई। व्यवसाय के नये-नये अवसर और पूँजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस सीमा में भी वश्द्धि करने हेतु चिन्तन किया जा रहा है।

केन्द्र से ऋण सहयोग प्राप्त करने हेतु आवेदक को आवश्यक जानकारी एवं कागजात के साथ केन्द्र द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र भरना आवश्यक है। ऋण सहयोग के लिए २ समाज बन्धुओं की गारंटी, स्थानीय/जिला सभा का अनुमोदन एवं प्रदेश अध्यक्ष की सिफारिश आवश्यक है। ऋण सहयोग हेतु समाज के २ बन्धुओं की गारंटी लेने के पीछे, राशि सुरक्षा के अलावा गारंटर्स, हितग्राही बन्धुओं के मार्ग दर्शक (मेन्टर) बनें, उन्हें व्यवसाय में समय-समय पर मार्ग-दर्शन करें और उनके व्यवसायिक उन्नति में सहयोगी बनें- यह केन्द्र की मुख्य भावना है।

आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, व्यवसाय की आवश्यकता, भावी योजना, संबंधित संस्थाओं का अनुमोदन/सिफारिश

आदि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र उद्देश्य एवं नियमों के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्र केन्द्र की ऋण स्वीकशति कमेटी में स्वीकश्त किये जाते हैं। जो आवेदन पत्र आवश्यक जानकारी एवं कागजात के अभाव में अपूर्ण होते हैं उनकी पूर्ति हेतु आवेदक एवं प्रदेश अध्यक्ष को पत्र द्वारा सूचना दी जाती है। ऋण स्वकशति समिति की बैठक साधारणतः माह में एक बार होती है।

वर्तमान में केन्द्र द्वारा दी जाने वाली ऋण सहायता की अधिकतम सीमा रू. १ लाख है। ऋण सहयोग ६% सेवा शुल्क पर दिया जाता है। यह राशि हितग्राही बन्धुओं का ४ वर्ष की अवधि में, १६ त्रैमासिक किस्तों में केन्द्र को वापस करनी होती है। जिन हितग्राही की सभी किस्तें वापसी तालिका के अनुसार समय प्राप्त होती है उन्हें केन्द्र द्वारा सेवा शुल्क पर १% की छूट प्रदान की जाती है। इस प्रकार समय पर राशि जमा वाले व्यक्तियों के लिए सेवा शुल्क ५% ही है। ऋण सहायता आवेदन फार्म संबंधित प्रदेश अध्यक्ष के पास उपलब्ध रहते हैं।

विशाल हृदयी दानदाता बन्धुओं का योजना में सहयोग-

समाज के लिए गर्व की बात है कि योजना की ६ वर्ष की अल्पावधि में, ३१ दिसम्बर २००५ तक विभिन्न प्रदेश के अनेक विशाल हृदयी दानदाता समाज बन्धुओं द्वारा करीब रु २८२.५० लाख का सहयोग प्राप्त हुआ है।

योजना की सार्थकता एवं सफलता को ध्यान में रखते हुए अनेक बन्धुओं ने सहयोग के निश्चित आश्वासन भी दिये हैं। सभी सहयोगी दानदाता बन्धु धन्यवाद के पात्र हैं। उनका सहयोग निश्चित ही समाज के जरूरतमंद बन्धुओं को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में लम्बी अवधि तक सहायक होगा।

समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र का कोष प्रथम चरण में ५ करोड़ होना आवश्यक है और यह विशाल हृदयी समाज बन्धुओं के सहयोग से संभव है।

योजना से समाज के अनेक बन्धु आत्म-निर्भर होंगे, स्वावलम्बी बनेंगे और निश्चित ही दानदाता सहयोगी बन्धुओं के लिए हृदय से मंगल कामना करेंगे।

ऋण सहायता

३१ दिसम्बर २००५ तक देश के विभिन्न प्रदेशों के करीब ११०० परिवार रू. ५४५ लाख की ऋण सहायता से लाभांवित हुए हैं। इसमें १३० महिलाएँ भी सम्मिलित हैं। ऋण सहायता का कार्य सभी के सहयोग से नियमित रूप से अग्रसर हो रहा है।

ऋण सहायता की वापसी

केन्द्र द्वारा दी गई ऋण सहायता की वापसी अधिकांश बन्धुओं से समय पर प्राप्त हो रही है। केन्द्र के लिए हर्ष का विषय है कि ३४५ हितग्राही बन्धुओं ने केन्द्र द्वारा दी गई ऋण सहयता पूर्ण राशि समयानुसार जमा करवा दी है। केन्द्र सहयोग से इनके व्यवसाय में वश्द्धि हुई है। अनेक बन्धुओं को पुनः सहायता प्रदान की गई है। केन्द्र द्वारा दी गई ऋण सहायता की वापसी समय पर आने से ऋण सहायता वितरण का कार्य अविरत रूप से लम्बी अवधि तक सफलता पूर्वक अग्रसर होता रहेगा और इस योजना से अनेक बन्धु लाभांवित होंगे।

बकाया राशि वसूली

कुछ हितग्राही बन्धुओं की राशि केन्द्र को समयानुसार प्राप्त नहीं हो रही है। बकाया राशि वसूली हेतु हितग्राही बन्धुओं के अलावा अनके गारंटर्स, सिफारिशकर्ता, अन्य संबंधित व्यक्ति एवं प्रदेश अध्यक्षों को भी केन्द्र द्वारा समय-समय पर स्मरण पत्र भेज जाते हैं। इस कार्य में केन्द्र को प्रदेश अध्यक्षों का सहयोग भी मिल रहा है।

केन्द्र द्वारा दी गई ऋण सहायता की राशि केन्द्र को समय पर प्राप्त हो, किसी की भी राशि बकाया न रहे इसके पीछे राशि वसूली के अलावा हितग्राही बन्धुओं को व्यावसायिक नीति समझाने का उद्देश्य है।

केन्द्र द्वारा प्रदेश अध्यक्ष, सिफारिशकर्ता एवं सम्बन्धित बन्धुओं को निवेदन किया जाता है कि वे समय-समय पर हितग्राही बन्धुओं के व्यवसाय का निरीक्षण करें। उनकी कोई समस्याओं हो तो समझें और उन्हें यथोचित मार्ग-दर्शन देकर उनके व्यवसाय में वृद्धि में सहयोग करें। समाज से जुड़े कार्यकर्ताओं के इन कार्यो से हितग्राही बन्धुओं को निश्चित ही महसूस होगा कि समाज सिर्फ उन्हें आर्थिक सहयोग ही नहीं बल्कि उन्हें मार्ग-दर्शन कराता है और उनका ख्याल भी रखता है।

किसी कारणवश हितग्राही बन्धु किस्त की राशि जमा करवाने में असमर्थ है तो केन्द्र द्वारा उनके गारंटर्स को सहयोग देने के लिए केन्द्र द्वारा निवेदन किया जाता है। यदि गारंटर्स भी राशि भेजवाने में असमर्थ है तो स्थानीय/प्रदेश संस्थाओं को इस कार्य में आगे आकर सहयोग करना चाहिए जिससे समाज एवं संगठन के प्रति निश्चित ही आस्था बढ़ेगी।

यहाँ जानकारी देते हुए हर्ष है कि इस दिशा में कुछ हितग्राही बन्धुओं के गारंटर्स ने गारंटी के कानूनी दायित्व के

अलावा सामाजिक नैतिक एवं सामाजिक दायित्व समझते हुए स्वेच्छा से आगे आकर हितग्राही बन्धुओं की राशि का भुगतान किया है। कुछ जगह स्थानीय संस्थाओं के पदाधिकारियों से भी इस तरह का सहयोग मिल रहा है। ये सभी बन्धु धन्यवाद के पात्र हैं।

विशेष सहायता

मानव सेवा के कार्यों में माहेश्वरी समाज सदैव तत्पर रहा है। देश में जब भी कोई नैसार्गिक आपदा आयी-भूकम्प, अतिवशष्टि, बाढ़ आदि, समाज ने पूरी तत्परता से सेवा एवं सहयोग देकर अपना दायित्व निभाया है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए केन्द्र द्वारा भी समय-समय पर मानव सेवा के लिए कार्य किया गया है।

१. उड़ीसा तूफान-राहत सहायता-

सन् २००० में उड़ीसा प्रदेश में आये समुद्री तुफान से अनेक व्यक्तियों का जान-माल का नुकसान हुआ था। इस आपदा की घड़ी में पूरे देश से प्रभावित बन्धुओं के लिए सहयोग राशि भेजी गयी। समाज द्वारा भी राहत सेवा के अनेक कार्य किये गये। समाज के कुछ बन्धुओं का व्यवसाय भी उध्वस्त हो गया था। उनके व्यवसाय पुर्नस्थापन हेतु केन्द्र द्वारा उन्हें तुरन्त सहायता प्रदान की गयी।

२. गुजरात में भूकम्प से क्षतिग्रस्त बन्धुओं को सहायता-

सन् २००१ में गुजरात प्रदेश में आये प्रलयकारी भूकम्प से जान-माल की भारी क्षति हुई जिसमें अनेक लोगों की मश्त्यु हुई, अनेक लोग बेघर हो गये। उनका व्यवसाय उध्वस्त हो गया। गांधीधाम में छात्र-छात्राओं के २ छात्रावास उध्वस्त हो गये थे। कुछ लोगों की बिल्डिंग के नीचे दबकर मश्त्यु हो गयी थी। इन छात्रावासों के पुर्न-निर्माण में महासभा के पूर्वाध्यक्ष एवं केन्द्र के कार्याध्यक्ष श्री बंसीलाल जी राठी का विशेष योगदान है। यह योजना करीब ३ करोड़ की थी। उन्होंने कांडला पोर्ट ट्रस्ट एवं अन्य संस्थाओं के अलावा माहेश्वरी समाज के बन्धुओं से सहयोग लेकर दोनों छात्रावास के पुर्न-निर्माण का कार्य किया। इन दोनों छात्रावासों पर अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा का नाम अंकित किया गया। यह माहेश्वरी समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और गौरव का विषय है । इसी श्रश्ंखला में गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्र में केन्द्र द्वारा करीब ५.५ लाख की सहायता भेजी गयी है। इस सहायता हेतु केन्द्र द्वारा एक अलग कोष का निर्माण कर दानदाता बन्धुओं से सहयोग लिया गया था।

भुज क्षेत्र में भूकम्प से प्रभावित ८ समाज बन्धुओं के व्यवसाय पुर्न-स्थापना हेतु केन्द्र द्वारा रू. १.७० लाख की विशेष ऋण सहायता प्रदान की गई।

३. सुनामी राहत कोष-

गत वर्ष २६ दिसम्बर २००४ को देश के दक्षिणी तटवर्ती राज्यों में प्रलयकारी समुद्री भूकम्प से उठी सुनामी लहरों में हजारों लोगों की जान चली गई थी और करोड़ों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ था। इन विनाशकारी सुनामी लहरों ने सम्पूर्ण मानव जाति को झंझोर दिया था। क्षतिग्रस्त बन्धुओं की सहायता हेतु समाज ने आगे आकर राहत कार्य में अपना योगदान दिया। केन्द्र द्वारा भी केन्द्र सदस्यों एवं केन्द्र हितग्राही बन्धुओं से सहयोग के लिए निवेदन किया गया था। केन्द्र के निवेदन पर केन्द्र के भूकम्प राहत कोष में अनेक समाज बन्धुओं से करीब ७.५० लाख का सहयोग प्राप्त हुआ। यह राशि सुनामी राहत हेतु आयोजित चिकित्सा कैम्प में सहयोग के अलावा सुनामी राहत के अन्तर्गत चलायी जा रही है। उपयुक्त योजना स्कूल, छात्रावास आदि में दी गयी।

४. महाराद्भ प्रदेश में बाढ़ पीड़ित बन्धुओं के पुर्नस्थापन हेतु विशेष ऋण सहयोग-

वर्ष जुलाई २००५ में अत्याधिक बारिश की वजह से महाराष्ट्र प्रदेश के थाना, रायगढ़, कल्याण, डोंबिवली, उल्हास नगर, भिवंडी, पनवेल, रोहा, तहाड, खेड़ आदि क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ था। इससे माहेश्वरी समाज के अनेक बन्धु भी प्रभावित हुए। क्षतिग्रस्त बन्धुओं के व्यवसाय पुर्न-स्थापना हेतु जिला, स्थानीय सभा के अनुमोदन एवं प्रदेश अध्यक्ष की सिफारिश पर केन्द्र द्वारा ३३ बन्धुओं को रू. १७.५० लाख की तुरन्त ऋण सहायता प्रदान की गई।

५. व्यवसाय (कार्यशाला)-

केन्द्र द्वारा ३१ दिसम्बर २००५ तक करीब ११०० बन्धुओं को व्यवसाय हेतु सहयोग दिया गया है। केन्द्र से सहायता प्राप्त देश के विभिन्न प्रदेशों के हितग्राही बन्धु सम्मिलित होकर वे अपने व्यवसाय के अनुभव, समस्या, निराकरण आदि के विषयों पर चर्चा होगी। इन बन्धुओं के अपने-अपने अनुभव है। अनेक बन्धुओं को व्यवसायिक मार्ग-दर्शन की आवश्यकता है, कुछ बन्धु व्यवसाय के नये अवसर खोज रहे हैं।

हितग्राही बन्धुओं का एक व्यवसायिक सम्मेलन आयोजित करने की केन्द्र की योजना है। यह कार्यक्रम सिर्फ सम्मेलन तक ही सीमित न रहते हुए एक उपयुक्त कार्यशाला सिद्ध हो इस हेतु व्यवसाय एवं उद्योग क्षेत्र के अनुभवी एवं जानकार बन्धुओं

को भी आमंत्रित करने की योजना है। लघु-उद्योग, गृह-उद्योग एवं महिला उद्योग आदि विषय के जानकार व्यक्ति इस सम्मेलन में मार्ग-दर्शन करेंगे।

केन्द्र के इस प्रयास से समाज में नई चेतना, जागशति का संचार होगा-भाईचारे के साथ-साथ समाज के संगठन के प्रति आस्था बढ़ेगी और व्यवसाय एवं उद्योग से जुड़े समाज बन्धु अपने व्यवसाय का कुशलता एवं सफलता पूर्वक संचालन कर सकेंगे, ऐसा केन्द्र को पूर्ण विश्वास है।

योजना की सफलता-

केन्द्र योजना से देश के विभिन्न प्रदेशों के अनेक परिवार लाभांवित हुए हैं। केन्द्र योजना से उनके जीवन यापन में सुगमता आयी है, उनकी समाज के प्रति आस्था भी बढ़ी है। उनके द्वारा अपने ही शब्दों में लिखी हुई कुछ प्रतिक्रिया इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हितग्राही बन्धुओं के अलावा समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं समाज चिन्तकों के केन्द्र योजना की सराहना की है। उनकी भी कुछ प्रतिक्रिया योजना की सार्थकता का प्रमाण है।

इस सफलता में केन्द्र सदस्य, दानदाता बन्धु, प्रदेश अध्यक्ष, हितग्राही बन्धु, उनके गारंटर्स एवं सिफारिशकर्ता आदि सभी का विशेष योगदान मिला है। योजना को सफल बनाने में महासभा के पदाधिकारी, कार्यसमिति एवं कार्यकारी मंडल सदस्य एवं समाज के अनेक बन्धुओं का भी सहयोग मिल रहा है। केन्द्र की सफलता सामूहिक सहयोग का ही प्रतिफल है।

केन्द्र की सफलता में सभी समाज बन्धुओं के अलावा केन्द्र अध्यक्ष श्रीमती राजश्री जी बिड़ला का समय-समय पर मार्ग-दर्शन, कार्याध्यक्ष श्री बंसीलाल जी राठी की तन्मयता एवं तत्परता, मंत्री श्री कस्तूरचन्द जी बाहेती के केन्द्र कार्य के प्रति लगन विशेष उल्लेखनीय है।

समाज की यह योजना सभी के सहयोग से ही सफलता पूर्वक अग्रसर हो सकती है। सभी का सहयोग ही केन्द्र की शक्ति है। आओ, हम सब मिलकर समाजोत्थान के लिए प्रयास करें और इस अनूठी योजना के माध्यम से समाज में एक मिसाल कायम करें-निश्चित ही हमारे प्रयासों को सफलता मिलेगी।